

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 मार्च 2024—फाल्गुन 22, शक 1945

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2024

सूचना

क्रमांक—यूडीएच—3/0031/2024/18-5:— मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, संशोधन जिन्हें राज्य सरकार, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा(3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने के पश्चात संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किन्हीं व्यक्तियों, से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में

(1) नियम 12क, में संशोधन,

1. नियम 12क. में, अंक 105 वर्गमीटर के स्थान पर 186 वर्गमीटर स्थापित किया जाए।

(2) परिशिष्ट क-2(2) में संशोधन,

1. परिशिष्ट क-2(2) में, अंक 105 वर्गमीटर के स्थान पर 186 वर्गमीटर स्थापित किया जाए।

(3) परिशिष्ट क-2(3) में संशोधन,

1. परिशिष्ट क-2(3) में, अंक 105 वर्गमीटर के स्थान पर 186 वर्गमीटर स्थापित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2024

क्र. यूडीएच-03-0031-2024-अठारह-5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्र. यूडीएच-03-0031-2024-अठारह-5, दिनांक 12 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 12th March 2024

NOTICE

No. UDH-3/0031/2024/18-5: The following draft of amendment in the 'Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 which the State Government propose to make in exercise of the power conferred by Section 85 read with sub-section(3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published, as required by Sub-section (1) of Section 85 of the said Adhinyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any persons, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government, namely :

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rule :

(1) Amendment of rule 12 A.

1. In Rule 12A. the number 186 sqm. Shall be substituted in place of 105 sqm.

(2) Amendment of Appendix A-2(2).

1. In Appendix A-2(2). the number 186 sqm. Shall be substituted in place of 105 sqm.

(3) Amendment of Appendix A-2(3).

1. In Appendix A-2(3). the number 186 sqm. Shall be substituted in place of 105 sqm.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.